

8^{२०}
२५

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं
भी उपस्थित नहीं। वकील अनुपस्थिति का कारण
कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज
पत्रावधि गई। अतः यह वाद-पत्र अदालत परकी
अदालत हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियम में सुनार की जाकर
गठबन्ध से काम हो गया तद्विषय तबामिल होकर
दरिखल वापस हो।